

नगर परिषद, भीलवाडा

(राजस्वाल बगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदक नं.:
जारी दिनांक:

LSG/BHILWARA/FIRENOC/2025-26/51393
20-JUNE-2025

वैधता दिनांक:

19-JUNE-2026

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: RISHI SAMSUKHA

आवेदक का पता: SEC-8, PATEL NAGAR, MEERA CIRCLE, BHILWARA


विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाल

आपके भवन THE SWIFT MODEL SCHOOL, SEC 8, PATEL NAGAR, NEAR MEERA CIRCLE, BHILWARA RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पांच करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

- फायर चाहव आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवशेष रहित रखना होगा।
- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के तिथि से 1 वर्ष के अवधि हेतु ही माल्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अव्यया अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
- अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
- यदि राज्य सरकार या विभाग द्वारा अविष्य में कोई वियमन/उपवियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को माल्य होगा।
- भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने के स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
- पाली के टैक हर समय भरे रखने होंगे व परम्परा व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि ऊंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही माल्य होगा।
- भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य माल्य नहीं होगा एवं इस बावत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रुफटॉप रेस्टोरेंट के लिए माल्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रुफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिलंबित रहेगा।
- भवन के समस्त रुटाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।




PRINCIPAL
The Swift Model School

Signed by: Hema Ram
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: BHILWARA, Rajasthan
Date: 20/06/2025 10:04:41

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, भीलवाडा